

## राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 6

तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सैंतीसवां दिवस

संख्या: 15

बुधवार,

23 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे  
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में बैठे हुए धरना)

श्री अध्यक्ष: कर्नल सोनाराम चौधरी। ...(व्यवधान)... कर्नल सोनाराम चौधरी।  
...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह बैठे क्यों है? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): हाउस तो ऑर्डर में लाओ। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान)... सदन के नेता को जिस तरह से चार बार नहीं बोलने दिया गया ...(व्यवधान)... सदन के नेता को तीन बार पहले और चौथी बार अभी वर्तमान में इस सदन के अंदर नहीं बोलने दिया गया। ...(व्यवधान)... बजट बहुत अच्छा रखा गया और बजट राजस्थान के विकास को दृष्टिगत रखने वाला रखा गया।  
...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम। ...(व्यवधान)... श्री पेमाराम। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बजट के अंदर हर वर्ग को राहत दी गई। बजट के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिसिंग लिंक में...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। ...(व्यवधान)... श्री अजय सिंह। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): 40 किलोमीटर सड़कों के सुदृढीकरण का ...(व्यवधान)... इतिहास में पहली बार इतने आर ओ बी का निर्माण ...(व्यवधान)... ऊर्जा के क्षेत्र में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल खराड़ी। ...(व्यवधान)... श्री बाबूलाल खराड़ी। ...(व्यवधान)...

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): 132 और 220 केवी के ग्रिड सब स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। ...(व्यवधान)... श्री राजेन्द्र राठौड़। ...(व्यवधान)... श्री अशोक पींचा। ...(व्यवधान)... श्री अशोक पींचा। ...(व्यवधान)... श्री छोटू सिंह भाटी। ...(व्यवधान)... श्री छोटू सिंह भाटी। ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी)

श्री प्रभुलाल सैनी। ...(व्यवधान)... श्री प्रभुलाल सैनी। ...(व्यवधान)... श्री नन्दलाल मीणा। ...(व्यवधान)... श्री नन्दलाल मीणा। ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को और सभी माननीय सदस्यों को इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। ...(व्यवधान)... हर डिमाण्ड पर चर्चा होती, राजस्थान के विकास के लिए ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11:03 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

**मोहन/अरुण/23032011/1200/1g**

(12.03 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, यह नाटक तो बंद कराओ। .....(व्यवधान).....

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): और ये कर्मचारियों को .....(व्यवधान)..... कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी .....(व्यवधान)..... कर्मचारियों को धमका रहे हैं .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य: ये नाटक तो बंद कराओ .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य: माफी मांगी जाए .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य: ऐसे नाटक करने से पाप नहीं धुलेगा .....(व्यवधान).....

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदन के नेता और मुख्य मंत्री जी को चार बार सदन में बोलने नहीं दिया और कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है .....(व्यवधान)..... तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी .....(व्यवधान)..... छाती पर पैर देकर राज को खींच लूंगी .....(व्यवधान).....

### स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय अन्य राज्यों से कम मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 22 मार्च, 2011 को व्यवस्था दी जा चुकी है। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

2. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से भारत सरकार के राजपत्र में नायक जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में माने जाने पर भी राज्य के अनेक जिलों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

### नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री सुखराम (बसेड़ी): सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के डांग क्षेत्र में नवीन विद्यालय खोलने के संबंध में।

2. श्री मंगलाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के लालमदेसर, नौखा में 132 केवी जेएसएस स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कराने के संबंध में।

3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह सदस्य की ओर से फालना-बाली व रानी की पुरानी पेयजल योजनाओं को जवाई पाइप लाइन कलस्टर योजना में स्वीकृत करने के संबंध में।

4. श्री पुष्कर लाल सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में सामान्य चिकित्सा हेतु पब्लिक नर्स प्रेक्टिशनर केंद्र का अधिकार नर्सों को देने के संबंध में।

5. श्रीमती अनिता भदेल सदस्य की ओर से अजमेर में संचालित स्कूल आफ नर्सिंग के जीएनएम कोर्स को बीएससी नर्सिंग कॉलेज में क्रमोन्नत करने पर सरकार द्वारा आवंटित राशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में।

6. डा० जसवंत सिंह यादव सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम गूती में कस्टोडियन भूमि का नामांतरण किसानों के नाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री जीवाराम चौधरी सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में।

8. श्रीमती मंजु देवी सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के विभिन्न गांवों में आवागमन के साधन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री अब्दुल सगीर खां सदस्य की ओर से जिला धौलपुर में बिजली की अघोषित कटौती से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

10. श्री ज्ञानदेव आहूजा सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने के संबंध में।

11. श्री ओम बिरला सदस्य की ओर से कोटा शहर में सफाई, विद्युत, गौशाला एवं पार्कों की बदहाल स्थिति के संबंध में।

12. श्री जयदीप सदस्य की ओर से पंचायतों को आबादी हेतु ग्राम पंचायतों की चिपती सिवाय चक भूमियों को निशुल्क आवंटित कराये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता .....(व्यवधान)..... लोकतंत्र का जो हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र का जो गला घोटने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए घातक है। .....(व्यवधान)..... इस तरह का जो रूख है, इनसे माफी मंगवाई जाए। .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य: कई बार सदन में खेद प्रकट किया है कांग्रेस ने .....(व्यवधान).....

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, वसुंधरा जी से माफी मंगवाई जाए .....(व्यवधान)..... और जो इनके कारनामे हैं .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य: सामंतशाही की तरह इस सदन को चलाया जा रहा है .....(व्यवधान).....

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री सुखराम, श्री मंगलराराम गोदारा, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री पुष्कर लाल, श्रीमती अनिता भदेल, डा. जसवंत सिंह यादव, श्री जीवाराम चौधरी, श्रीमती मंजु देवी, श्री अब्दुल सगीर खां, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री ओम बिरला, श्री जयदीप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह सामंतशाही कर रहे हैं, इस सामंतशाही का विरोध करते हुए उनसे माफी की मांग कर रहे हैं .....(व्यवधान)..... माफी मांगी जाए .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य: यह खेद प्रकट करें .....(व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य: यह राजस्थान की जनता से माफी मांगें .....(व्यवधान).....

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह माफी मांगें और यह कार्यकर्ताओं को धमकाना.....(व्यवधान)..... और ये कर्मचारियों को डराना.....(व्यवधान).....

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री सभापति: आज दिनांक 23 मार्च, 2011 को शून्यकाल में बोलने हेतु शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित हैं:- श्री हरिसिंह रावत, श्री छोट्टसिंह भाटी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री अर्जुन लाल।

श्री हरिसिंह रावत, श्री छोटू सिंह भाटी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री अर्जुन लाल।  
श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह सामंतशाही कर रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है .....(व्यवधान)..... माफी मांगी जाए .....(व्यवधान).....

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.08 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

सुरेन्द्र/अरुण/23.03.2011/13.00/1n

(13.08 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में धरना)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वाणिज्यिक वर्ष 2009-2010

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राज्य वित्त वर्ष 2009-2010

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रतिवेदन। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक के निम्न दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ:-

I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वाणिज्यिक वर्ष 2009-2010 एवं

II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राज्य वित्त वर्ष 2009-2010

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री।

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूँ।

समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (क्रम संख्या 3 से 7)

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री प्रकाश चौधरी।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, 2010-2011 के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम एवं सप्तम प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: श्री भगराज चौधरी

**vkj/akt/23.03.2011/13.10/1o**

श्री भगराज चौधरी (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

श्री अध्यक्ष: श्री भगराज चौधरी। श्री भगराज चौधरी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

**अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (क्रम संख्या-2)**

श्री भगराज चौधरी (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 2010-2011 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शांती कुमार धारीवाल।

**सदन की मेज पर रखे गये पत्र**

**प्रतिवेदन**

**जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन**

**वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010**

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 सदन की मेज पर रखता हूँ।

**कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या-16)**

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने पन्द्रहवें प्रतिवेदन में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 23 मार्च, 2011 को सदन में अग्रतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :-

**बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011**

1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगों मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

2. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

3. राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण।
4. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011,
5. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011,
6. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011,
7. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011,
8. राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011,
9. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011,
10. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011,
11. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011,
12. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011  
- पर विचार एवं पारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

**(स्वीकृत)**

सदन द्वारा पारित प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

### **समिति गठन प्रस्ताव**

#### **वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष: वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, 232(1) सहपठित नियम 232(1), 233-ख(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति 2011-2012, प्राक्कलन समिति 'क' 2011-2012, प्राक्कलन समिति 'ख' 2011-2012 एवं राजकीय उपक्रम समिति 2011-2012 प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है। सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्ययीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231 सहपठित नियम 232(1) 233(ख)(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि उपरोक्त समितियों का गठन

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

**(स्वीकृत)**

वित्तीय समितियों के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

**मुख्य बन्द**

**अनुदान की शेष मांगों का पारण**

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित अनुदान की शेष रही मांगें मुख्य बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

**मांग संख्या-1**

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,95,64,000/- (सैंतीस करोड़ पचानवे लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-2**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,41,99,000/- (आठ करोड़ इकतालीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-3**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,06,83,73,000/- (ग्यारह अरब छह करोड़ तिरासी लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-4**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,05,41,40,000/- (तीन अरब पांच करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 97,11,97,000/- (सतानवे करोड़ ग्यारह लाख सतानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,62,39,38,000/- (तीन अरब बासठ करोड़ उनतालीस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,84,95,000/- (तैंतीस करोड़ चौरासी लाख पिचानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,75,70,04,000/- (पाँच अरब पिचहत्तर करोड़ सत्तर लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,25,35,79,000/- (छह अरब पच्चीस करोड़ पैंतीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,06,61,000/- (सैंतालीस करोड़ छह लाख इकसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 52,72,77,000/- (बावन करोड़ बहत्तर लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,49,63,60,000/- (एक अरब उनचास करोड़ तिरेसठ लाख साठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,21,84,14,000/- (एक अरब इक्कीस करोड़ चौरासी लाख चौदह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

**Jkj/akt/1p/13.20/23.03.2011****मांग संख्या - 14**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14- बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,35,01,57,000/- (दो अरब पैंतीस करोड़ एक लाख सतावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या- 15**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,54,26,99,000/- (इकसठ अरब चौवन करोड़ छब्बीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-18**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,61,63,000/- (तैंतीस करोड़ इकसठ लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या- 19**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,86,73,80,000/- (पाँच अरब छियासी करोड़ तिहत्तर लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या -20**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20- आवास के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,10,37,000/- (छियालीस करोड़ दस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-21**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -21- सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,20,37,53,000/- (उन्नीस अरब बीस करोड़ सैंतीस लाख तिरपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या- 22**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22- क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,42,80,55,000/- (दो अरब बियालीस करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-23**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23- श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,20,72,96,000/- (एक अरब बीस करोड़ बहत्तर लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-24**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,76,26,48,000/- (एक खरब तीन अरब छिहत्तर करोड़ छब्बीस लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

**मांग संख्या-25**

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25- कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,46,55,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ छियालीस लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-26

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,84,26,05,000/- (सत्ताईस अरब चौरासी करोड़ छब्बीस लाख पाँच हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या- 29

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,64,16,01,000/- (तेईस अरब चौंसठ करोड़ सोलह लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,15,77,63,000/- (इक्तीस अरब पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख तिरसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,72,82,27,000/- (बारह अरब बहत्तर करोड़ बियासी लाख सत्ताईस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

को रूपये 1,17,85,21,000/- (एक अरब सत्रह करोड़ पचासी लाख इक्कीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36- सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,27,56,69,000/- (एक अरब सत्ताईस करोड़ छप्पन लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या- 38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -38- लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,12,16,45,000/- (एक अरब बारह करोड़ सोलह लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या- 40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40- राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 7,71,04,000/- (सात करोड़ इकहत्तर लाख चार हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या- 42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -42- उद्योग के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 82,04,90,000/- (बियासी करोड़ चार लाख नब्बे हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या- 43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43- खनिज के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये

1,42,30,19,000/- (एक अरब बियालीस करोड़ तीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44- लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 27,52,68,000/- (सत्ताईस करोड़ बावन लाख अड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45- राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 9000/- (नौ हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47- पर्यटन के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 38,39,02,000/- (अड़तीस करोड़ उनतालीस लाख दो हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -48- विद्युत के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 37,96,64,85000/- (सैंतीस अरब छियानवे करोड़ चौंसठ लाख पचासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 2,63,76,32,000/- (दो अरब तिरसठ करोड़ छिहत्तर लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

#### मांग संख्या- 51

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 27,71,78,70,000/- (सत्ताईस अरब इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख सत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

#### विधायी कार्य: विधेयक का पुरःस्थापन

#### राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011

पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

प्रभारी मंत्री।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आज्ञा दी गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

#### Lpm/akt/1330/1q/23-3-2011

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

#### विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर कोई विचार व्यक्त करना चाहें, बोलना चाहें तो मैं उनको अनुमति देने को तैयार हूँ। कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मैं उनको समय देने के लिए तैयार हूँ। प्रभारी मंत्री।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ और मेज पर एप्रोप्रिएशन से संबंधित जो वक्तव्य है, वो मेज पर रखने की आपकी अनुमति चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष: आपको इजाजत है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और यह भी चाहता हूँ कि आप जो है इसको अंकित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति है।

**(श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री) द्वारा विनियोग विधेयक से संबंधित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा गया।)**

**(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)**

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और इसी के साथ-साथ कल गृह विभाग पर जो है डिमाण्ड्स थी और डिमाण्ड्स के दौरान मैं जो कुछ बोलना चाहता था, वह नहीं बोल पाया, वह रखने की आपसे अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

**(स्वीकृत)**

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किए जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

**विधेयक का पारण**

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाइए पहले तो, जिस तरह सदन का टाइम खराब किया है इन्होंने...(व्यवधान)... भ्रष्टाचार करके...(व्यवधान)... विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता की दुर्गति आप लोगों ने की है। आज आप वापस बोलने के लिए खड़े हो गए...(व्यवधान)...

**विधेयक पर विचार**

**राजस्थान वित्त विधेयक, 2011**

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। राजस्थान वित्त विधेयक, 2011, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिए जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे, तो प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 30- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 30 स्वीकार किए जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 से 30 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

**विधेयक का पारण**

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई सदस्य बोलने चाहें तो अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह आपके गृह मंत्रालय ... (व्यवधान)... गृह मंत्रालय की कल मांग पास हो गई। गृह मंत्रालय की पास हुई मांग के बाद ... (व्यवधान)... सदन को कलंकित करा रहे हैं ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

### विधेयक पर विचार

#### राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011

श्री राजेन्द्र पारीक, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम, श्री अमराराम

श्री पेमाराम, श्री पेमाराम

श्री ओम बिरला, श्री ओम बिरला

श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री मोहनलाल गुप्ता

श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री राजेन्द्र राठौड़

डॉ० दिगम्बर सिंह, डॉ० दिगम्बर सिंह

श्री रमेश खण्डेवाल, श्री रमेश खण्डेवाल

दो मिनट तो रुको, दो मिनट तो रुको।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

#### खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 22 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 22 स्वीकार किए जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 से 22 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अनियम, सत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए।

श्री राजेन्द्र पारीक, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

#### विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेगा तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 पारित किया गया।

#### विधेयक पर विचार

##### राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011। श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया, श्री गुलाब चन्द जी कटारिया,  
श्री ओम बिरला, श्री ओम बिरला,  
श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री मोहनलाल गुप्ता,  
श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री राजेन्द्र राठौड़,  
डॉ० दिगम्बर सिंह, डॉ० दिगम्बर सिंह।

#### **Bhs/akt/23.3.11/13.40/2a**

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जायं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### **विधेयक का पारण**

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेगा तो प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

#### **विधेयक पर विचार**

##### **राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011**

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री गुलाबचन्द जी कटारिया। श्री गुलाबचन्द जी कटारिया। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। डॉ. दिगम्बर सिंह जी। डॉ. दिगम्बर सिंह जी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड -2 से 4 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये जायं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### **विधेयक का पारण**

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेगा तो प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

#### **विधेयक पर विचार**

#### **राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011**

मास्टर भँवर लाल मेघवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

मास्टर भँवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम जी। श्री अमराराम जी। श्री पेमाराम जी। श्री गुलाबचंद जी कटारिया। श्री गुलाबचंद जी कटारिया। श्री ओम जी बिरला। श्री ओम जी बिरला। श्री मोहन लाल जी गुप्ता। श्री मोहन लाल जी गुप्ता। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। डॉ.दिगम्बर सिंह जी। डॉ.दिगम्बर सिंह जी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जायं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

मास्टर भँवर लाल मेघवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### **विधेयक का पारण**

मास्टर भँवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

#### **विधेयक पर विचार**

#### **राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011**

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम जी बिरला। श्री ओम जी बिरला। श्री मोहन लाल जी गुप्ता। श्री मोहन लाल जी गुप्ता। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। डॉ.दिगम्बर सिंह जी। डॉ.दिगम्बर सिंह जी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जायं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें, अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

#### विधेयक पर विचार

##### राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 विचारार्थ लिया जाय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम जी बिरला। श्री ओम जी बिरला। श्री मोहन लाल जी गुप्ता। श्री मोहन लाल जी गुप्ता। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। श्री राजेन्द्र जी राठौड़। डॉ.दिगम्बर सिंह जी। डॉ.दिगम्बर सिंह जी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें, अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेगा तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

#### विधेयक पर विचार

##### राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम। श्री पेमाराम। श्री ओम बिरला। श्री मोहन लाल गुप्ता। श्री राजेन्द्र राठौड़। डॉ.दिगम्बर सिंह।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### विधेयक का पारण

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें, अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलेंगे तो प्रभारी मंत्री उत्तर भी देंगे।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

#### विधेयक पर विचार

#### राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

**कैलाश/अरुण 23.03.2011 13.50 (1) 2b**

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम, श्री पेमाराम, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री ओम बिरला, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री राजेन्द्र राठौड, श्री दिगम्बर सिंह।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार, खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय ?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### **विधेयक का पारण**

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य बोलना चाहे, उन्हें अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

#### **विधेयक पर विचार**

##### **राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011**

श्री अध्यक्ष: राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011, श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम, श्री पेमाराम, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री ओम बिरला, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री राजेन्द्र राठौड, डा. दिगम्बर सिंह।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय ?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार, खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

खण्ड- 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाय ?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

#### विधेयक का पारण

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहे, उन्हें अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय ?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान भ-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

#### व्यवस्था

**पूर्व दिन की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई पत्र आदि**

**सदन के पटल पर नहीं रखे जा सकते**

माननीय सदस्य कृपया। अभी भारतीय जनता पार्टी के उप नेता माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने जो आपत्ति की उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूर्व के दिन की किसी कार्यवाही के संबंध में पत्रादि अगले दिन टेबल करने की परम्परा नहीं रही है। अतः माननीय मंत्री महोदय ने गृह मंत्री की हैसियत से कल दी किसी कार्यवाही के संबंध में कोई पत्रादि टेबल किये हों तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, न आसन की स्वीकृति मानी जाय।

...(व्यवधान)... कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप जल्दी में हो क्या, प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाय।

#### राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।

पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा।

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,

उच्छल जलधि तरंगा।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।

गाहे तव जय गाथा,

जन गण मंगलदायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 13.56 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।)**

दुर्गा/त्रिपाठी/23.03.11/1400/2c

### परिशिष्ट

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री) (प्रभारी मंत्री) द्वारा राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 पर सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य, जिसे आसन द्वारा पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज, जब मैं विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तब मुझे 9 मार्च का वह दिन याद आ रहा है, जब मैं सदन में बजट प्रस्तुत कर रहा था। मैंने अपने बजट भाषण को अंतिम रूप देते समय यह कल्पना नहीं की थी, कि इसके प्रस्तुतिकरण में इतना समय लग जायेगा। उस दिन मुझे लगभग दो घंटे और 40 मिनट बजट भाषण में लगे। संभवतः, समय की दृष्टि से यह सबसे लंबा बजट भाषण रहा होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि संपूर्ण बजट भाषण के दौरान माननीय सदस्यों का उत्साह बना रहा। संभवतः यह इस कारण हुआ कि हमारे बजट प्रस्ताव प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए सामयिक एवं उपयुक्त थे।

बजट प्रस्तुत करने के पश्चात्, अब तक समाज के लगभग सभी वर्ग के लोगों से मुझे बात करने का अवसर मिला है। उन सभी ने हमारे द्वारा प्रस्तुत बजट की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इन प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह और बढ़ा है, लेकिन गत दिनों सदन में जो परिस्थितियां बनीं, उनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ है। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया था, उस दिन विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने धैर्य से भाषण को सुना था। इससे मुझे अच्छा लगा था। मैं यह तो आशा नहीं करता था कि विपक्ष द्वारा बजट की प्रशंसा की जायेगी, क्योंकि अभी तक ऐसी स्वस्थ परम्परा स्थापित नहीं हो सकी है। किंतु इसके बावजूद विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों ने बजट को 'घोषणाओं का पिटारा मात्र' कहकर अपने धर्म की इतिश्री कर ली।

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान, शुरू में एक दिन विध्न आया, लेकिन उसके पश्चात् जब सदन सामान्य चर्चा के अंतिम दिन, जब प्रतिपक्ष की माननीया नेता बोलने खड़ी हुईं, तब उनके भाषण को, हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। भाषण के अंतिम पड़ाव में कुछ इस प्रकार की बातें प्रतिपक्ष की माननीया नेता द्वारा कही गईं जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हुआ। अब, जब मैं पीछे मुड़कर सारे घटनाक्रम को पुनः देखता हूँ तब मुझे लगता है कि यह सब सोची-समझी और सुनियोजित strategy थी ताकि, मुझे सदन में बोलने और अपनी बात का खुलासा करने का अवसर नहीं मिले। इसके पहले भी, गत सत्रों के दौरान तीन बार ऐसा हुआ है, जब मुझे बोलने नहीं दिया गया। इसके पश्चात् जो भी घटनाक्रम रहा वह सबको विदित है, और राज्य की जनता भी इसे देख रही है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थीं वह अच्छे संकेत नहीं दे रही थीं, और इसी कारण कि, सदन की छवि अच्छी बनी

रहे, हमने भरे मन से निर्णय लिया कि वैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाये और विवादों को और आगे नहीं बढ़ाया जाये।

अब मैं कतिपय उन बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा जो प्रतिपक्ष की माननीया नेता द्वारा दिनांक 15 मार्च के उद्बोधन से निकल कर आते हैं। पूरे भाषण में, वे अपने कार्यकाल का ही उल्लेख करती रहीं और अपनी कथित उपलब्धियां गिनाती रहीं। मेरा सोचना है कि व्यक्ति को भूत में नहीं, वर्तमान में जीना चाहिए। उनके कार्यकाल में, जैसा कि वे दावा कर रही थीं, यदि कोई आमूलचूल परिवर्तन हो गया होता तो राज्य की जनता उन्हें हटाती नहीं। अतः उन्हें यह स्वीकार करना चाहिये कि, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं।

अब मैं उन financial issues पर बोलना चाहूंगा, जिन्हें, प्रतिपक्ष की माननीया नेता, एवं उदयपुर, शाहपुरा-जयपुर तथा झोटवाड़ा-जयपुर से आये माननीय सदस्यों ने, सामान्य चर्चा के दौरान उठाया था और यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि पूर्व सरकार का वित्तीय प्रबंधन अच्छा था। सबसे ज्यादा बढ़-चढ़ कर यह कहा गया कि पूर्व सरकार ने 5 वर्षों की अवधि में 25 हजार करोड़ रुपये से भी कम उधार लेकर प्लान साइज को बढ़ाया था जबकि वर्तमान सरकार के बारे में कहा गया कि पहले तीन वर्षों में ही 26 हजार करोड़ रुपये की उधारी ले ली। पहली बात तो ये कि जब आप अपने शासनकाल के 5 वर्षों का जिक्र करते हैं तो आंकड़े 4 वर्षों के ही क्यों लेते हैं। आपके शासनकाल के 5 वर्षों में ऋण एवं देनदारियों में 30 हजार 661 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, न कि 25 हजार करोड़ रुपये की।

यह सही है कि हमारे शासनकाल में वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में, ऋण एवं देनदारियों में, लगभग 23 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अनुमानित है। यहां देखने की बात यह है कि क्या ये absolute figures, comparable हैं? राज्य का प्लान और नॉन-प्लान बजट जो वर्ष 2004-05 में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का था वह बढ़ते-बढ़ते वर्ष 2011-12 में 64 हजार करोड़ रुपये का होना अनुमानित है। अतः जब बजट का आकार बढ़ता है, price levels में परिवर्तन आता है, तब इन आंकड़ों की तुलना करने के लिए अलग-अलग आधार लिये जाते हैं। इसमें सबसे प्रचलित आधार, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का प्रतिशत है। अतः ऋणों एवं देनदारियों की विभिन्न अवधियों में तुलना निम्नानुसार की जा सकती है:-

वर्ष 2004-05 के अंत में, कुल ऋण एवं देनदारियां, GSDP की 47 प्रतिशत थीं, जो वर्ष 2010-11 के अंत में 33 प्रतिशत से भी कम रहेंगी।

वर्ष 2004-05 में पूर्व सरकार द्वारा 6 हजार 773 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया तथा वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में 7 हजार 524 करोड़ रुपये का ऋण लिया जा रहा है। यदि वर्ष 2010-11 के 7 हजार 524 करोड़ रुपये को wholesale price index के आधार पर वर्ष 2004-05 के स्तर पर लाया जाता है तो यह केवल 5 हजार 17 करोड़ रुपये रहता है। आप ही देख लें कि किस सरकार ने ज्यादा ऋण लिया है।

प्रत्येक वर्ष के शुद्ध ऋण को उस वर्ष की GSDP के प्रतिशत के रूप में देखा जाये तो भी, figures, comparable हो सकते हैं। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है कि पूर्व सरकार के शासनकाल में ऋणों में बढ़ोतरी तुलनात्मक रूप से अधिक हुई है

Year	Net increase in Debt (Rs. In crore)	Net increase in Debt as %age of GSDP
2004-05	6773	5.30
2005-06	6272	4.41
2006-07	4739	2.77
2007-08	5992	3.08
2008-09	6885	3.06
2009-10	7510	2.94
2010-11	7524	2.48
2011-12	8063	2.42

माननीया नेता, प्रतिपक्ष ने ऋण दायित्वों का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में ऋणों में बढ़ोतरी की तुलना में plan size में बढ़ोतरी अधिक हुई। वर्ष 2008-09 हेतु पूर्व सरकार ने 14 हजार 20 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित कराई थी। हमारी सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए 27 हजार 500 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित कराई तथा बजट में इसे और बढ़ाकर, 28 हजार 461 करोड़ रुपये प्रस्तावित की है। यह वर्ष 2008-09 की तुलना में दुगुने से भी ज्यादा है। इस प्रकार हमारी सरकार ने न केवल GSDP के प्रतिशत के रूप में ऋण में कमी की है अपितु राज्य के विकास के लिए योजना का आकर भी बढ़ाया है।

सदन में Revenue Deficit और Fiscal Deficit के सम्बन्ध में भी प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कहा गया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में Revenue Surplus था तथा Fiscal Deficit भी कम था। मैं यह पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के बजट भी तो आप ही ने बनाये थे। इन दोनों वर्षों में क्रमशः 2 हजार 143 करोड़ रुपये और 660 करोड़ रुपये का Revenue Deficit था। हमने भी वर्ष 2011-12 का Revenue Surplus का बजट प्रस्तुत किया है।

जहां तक Fiscal Deficit का प्रश्न है, आपके शासनकाल में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में GSDP का क्रमशः 4.81 एवं 3.62 प्रतिशत था, जो आपके शासन की बाद की अवधि में 2 से 3 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में, Fiscal Deficit, GSDP का क्रमशः 2.49 और 2.42 प्रतिशत रहना अनुमानित है, जो FRBM के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए उचित है।

Interest Payment का भी उल्लेख किया गया है तथा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत कर यह कहने का प्रयास किया गया कि इसमें बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। वास्तव में ये absolute figures भी comparable नहीं हैं जैसा कि मैंने पूर्व में ऋणों के संबंध में कहा था। बजट का आकार व राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी के साथ इन figures को देखा जाना चाहिये। निम्नानुसार तालिका से स्पष्ट है कि Interest Payment का भार किसके शासनकाल में अधिक था:-

Year	Interest Payment (Rs. In crore)	Interest Payment as age of Revenue Receipts
2004-05	5172	29.12
2005-06	5210	25.00
2006-07	5702	22.28
2007-08	5943	19.31
2008-09	6224	18.60
2009-10	6769	19.13
2010-11 (RE)	7406	16.10
2011-12 (BE)	8012	15.32

माननीया नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 2009-10 की तुलना में 2011-12 में share in central taxes में 66 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आप कृपया अपने period में हुई वृद्धि का भी हिसाब लगायें। वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि में भी share in central taxes में 61 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख भी आया कि राज्य का tax-GDP ratio 8 प्रतिशत होना चाहिये, जबकि आपके शासनकाल में भी यह प्रत्येक वर्ष 7 प्रतिशत से कम रहा है।

सदन में कहा गया कि कूड ऑयल पर राज्य को 4 प्रतिशत वेट मिलना चाहिये था। वास्तविक स्थिति यह है कि राज्य में रिफाइनरी नहीं होने के कारण कूड ऑयल दूसरे राज्य में ले जाया जाकर प्रोसेसिंग की जा रही है। मैसर्स केयर्न इंडिया द्वारा 2 प्रतिशत की दर से सीएसटी जमा करवाया जा रहा है। वेट लगेगा या सीएसटी लगेगा, इस संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। केन्द्र सरकार द्वारा इस बिन्दु का परीक्षण किया जाकर यह राय दी गई है कि कूड ऑयल की प्रोसेसिंग राज्य के बाहर होने पर इस पर राज्य को केन्द्रीय बिक्री कर ही मिल सकेगा। यदि कूड ऑयल की बिक्री ब्रांच ट्रांसफर के रूप में दर्शाई जाती तो राज्य को कोई कर प्राप्त नहीं होता। राज्य में रिफाइनरी स्थापित होने पर कच्चे तेल की प्रोसेसिंग राज्य में ही होने के पश्चात वेट वसूला जा सकेगा।

सदन में यह भी कहा गया कि केन्द्र से योजनाओं के पेटे जो पैसे आ रहे हैं उनमें से आधे भी खर्च नहीं हो पा रहे हैं। वर्ष 2009-10 में Centrally Sponsored Schemes में 11 हजार 888 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा 10 हजार 893 करोड़ रुपये खर्च किये गये जो प्राप्त राशि का लगभग 92 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 में फरवरी माह तक CSS के अंतर्गत, 10 हजार 616 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जिसके विरुद्ध 82 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि आपके समय भी CSS का खर्चा वर्ष 2004-05 में 86 प्रतिशत, 2007-08 में 92 प्रतिशत तथा 2008-09 में भी 92 प्रतिशत हुआ था। CSS के पेटे जो राशि प्राप्त होती है, वह लैप्स नहीं होकर अगले वर्ष carry over होती है।

अब मैं, अन्य मुद्दों के संबंध में बोलना चाहूंगा जिनका प्रतिपक्ष की माननीया नेता एवं अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया था।

सदन में यह कहा गया कि प्रस्तावित लाइवलीहुड मिशन, केवल नया नाम देकर गठित किया गया है। इस संबंध में, मैंने बजट में विस्तार से उल्लेख किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार हमने, आज की आवश्यकताओं के मद्देनजर 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन' के गठन का निर्णय लिया है। इस मिशन के अंतर्गत, 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास परिषद' एवं 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम', का गठन किया जायेगा। 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम' पूर्व में संचालित RMoL का स्थान लेगा। हम आशा करते हैं कि RMoL के स्थान पर, जो निगम गठित किया जा रहा है, वह प्रदेश के युवाओं में कौशल की अभिवृद्धि के साथ-साथ आजीविका विकास की दृष्टि से बेहतर कार्य कर सकेगा।

पूर्व सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2004-05 से दिसंबर, 2008 की अवधि में राज्य के विभिन्न जिलों में 145 सहायता शिविरों का आयोजन किया गया था, जिनके माध्यम से एक लाख 80 हजार 490 आशार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जा सके थे। हमारे कार्यकाल में जनवरी, 2009 से अब तक, 97 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है जिसके माध्यम से लगभग एक लाख 80 हजार बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केवल पूर्व सरकार के कार्यकाल में ही रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाता था।

पूर्व सरकार द्वारा लागू की गई बेरोजगारी भत्ते की 'अक्षत योजना', जैसा कि सदन में कहा गया, समाप्त नहीं की गई है, बल्कि 1 अक्टूबर, 2009 से इसे संशोधित कर 'अक्षत कौशल विकास योजना' के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस संशोधित योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते की राशि नकद में नहीं दी जाकर आशार्थियों को वाऊचर दिये जाते हैं जिनके माध्यम से वे मान्य प्रशिक्षण केन्द्रों पर अपने कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक 12 हजार 960 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया है।

**VPS-23.03.2011-14.10-2d**

स्कूली छात्राओं हेतु साइकिल योजना के संबंध में प्रतिपक्ष की माननीया नेता ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं। मैंने भी बजट भाषण में ऐसा नहीं कहा कि यह कोई नई योजना है। पूर्व सरकार द्वारा दसवीं कक्षा में किसी छात्रा के प्रवेश लेने पर साइकिल दी जाती थी, लेकिन हमने, आठवीं कक्षा पास करके नवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ही, साइकिलों के वितरण का निर्णय लिया है, ताकि साइकिलों का अधिक समय तक उपयोग किया जा सके एवं dropout की संख्या में भी कमी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त छात्राओं से 300/- रुपये के स्थान पर 100/- रुपये का ही अंशदान लिया जाएगा। वर्ष 2007-08 में जहां केवल 29 हजार साइकिलों का वितरण हुआ था और राज्य सरकार नेक 4 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च किए थे, हमारा अनुमान है कि आगामी वर्ष 1 लाख 42 हजार छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया जाएगा, जिस पर लगभग 28 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नए स्कूल खोलने, स्कूलों को upgrade करने व dropout की समस्या के संबंध में उल्लेख किया है। इस संबंध में मैंने अपने बजट भाषण में भी उल्लेख किया है। स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर करने की दृष्टि सर्वप्रथम समानीकरण की कार्यवाही की गई। प्रारम्भिक शिक्षा सेट अप में समानीकरण एवं एकीकरण की कार्यवाही से, 19 हजार 833 अध्यापकों को जहां उनकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसे विद्यालयों से अधिशेष किया जाकर आवश्यकता वाले विद्यालयों में समायोजित किया गया। समानीकरण से पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत एकल अध्यापक विद्यालयों की संख्या 13 हजार 382 थी, जो समानीकरण के पश्चात् 11 हजार 621 हो गई है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा सेट अप में आवश्यकता से अधिक स्टॉफ वाले विद्यालयों से 2 हजार 365 वरिष्ठ अध्यापकों को एवं 2 हजार 666 तृतीय श्रेणी अध्यापकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में समायोजित किया गया।

आपके शासन काल में अंतिम वर्ष में 3 हजार 108 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत तो कर दिया गया, किंतु दुर्भाग्य से इन क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए पदों का सृजन नहीं किया। इसके पश्चात् हमने 1 हजार 900 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। इन सभी विद्यालयों के लिए हम 25 हजार से अधिक पद सृजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में राज्य के 500 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले गए हैं।

अनामांकित और dropout बच्चों के बारे में सही जानकारी होगी तब ही तो ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। अतः हमने गांव-गांव जाकर इनका सर्वे करवाया। ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 12 लाख है, जिसमें 7 लाख बालिकाएं एवं 5 लाख बालक हैं। मैंने बजट में भी कहा कि यह एक चिंता का विषय है। सर्वे के माध्यम से हमारे पास सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध हो गई है कि किस गांव अथवा शहर में किस-किस परिवार के किस उम्र के कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं तथा स्कूल नहीं जाने के क्या कारण

हैं। अतः अब out of school बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु जिलेवार एवं क्षेत्रवार strategy बनाई जाएगी।

प्रतिपक्ष की माननीय नेता ने कहा कि एफ.आर.पी. के माध्यम से विद्युत लाइनों का पुनरुद्धार करके छीजत 40-42 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक कम कर दी गई थी जिसे वापिस बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। यह आंकड़े कहां से मिले, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वितरण छीजत वर्ष 2007-08 के अंत में 31.40 प्रतिशत थी जो वर्ष 2009-10 के अंत में 25.01 प्रतिशत लाई जा चुकी है एवं इस वर्ष के अंत तक 22.5 प्रतिशत तक लाने की सम्भावना है।

कृषि कनेक्शन के बारे में भी सदन में उल्लेख किया गया है। दिसम्बर, 2003 से नवम्बर, 2008 तक 1 लाख 85 हजार 877 कृषि कनेक्शन जारी किए गए थे इसके विपरीत दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2011 तक, केवल सवा दो साल में 1 लाख 60 हजार 84 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। आगामी वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 2 लाख 25 हजार के लगभग पहुंच जाएगा।

ट्रांसफार्मर के साथ-साथ मीटर के जल जाने का भार किसान पर डालने का मुद्दा उठाया गया। सही स्थिति यह है कि मीटर के साथ छेड़छाड़ किए जाने अथवा अतिरिक्त विद्युत भार का उपभोग करने के कारण मीटर जलने पर ही मीटर की राशि, RERC के निर्देशानुसार देनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कारण से मीटर जलने पर अथवा खराब होने पर किसानों से मीटर बदलने की कोई राशि नहीं ली जाती।

सदन में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव विनियामक आयोग को भेजने का मुद्दा भी उठाया गया। हमने, जैसा कि पूर्व में भी स्पष्ट किया है, किसानों के लिए बिजली की दरों में, 5 वर्ष की अवधि में, बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के परिणामस्वरूप लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का भार, राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि में वहन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत 6 वर्षों से, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु, बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। विनियामक आयोग के लगातार निर्देशों, महालेखाकार की टिप्पणियों और वितरण कम्पनियों के बढ़ते घाटे को देखते हुए बिजली की दरों में संशोधन हेतु आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई है। याचिका में किसानों, बी.पी.एल. परिवारों एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई प्रभावी वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है। इन सभी उपभोक्ताओं के लिए बढ़ी हुई बिजली की दरों का भार राज्य सरकार वहन करेगी।

सदन में कहा गया कि ढाई साल के अंदर बिजली की दर तीन बार बढ़ गई और इसका नुकसान किसान वहन कर रहा है। यह सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि सिर्फ अरबन सेस एवं वॉटर कंजर्वेशन सेस, विशेष प्रयोजन हेतु शहरी उपभोक्ताओं पर लगाया गया है। विद्युत का 100 यूनिट से कम उपभोग करने वाले उपभोक्ता इससे बाहर हैं। अरबन सेस से नगरपालिकाओं की बरसों पुरानी स्ट्रीट लाइट के पेटे बकाया भुगतान की समस्या का

समाधान हुआ है। बजट में अरबन सेस की राशि 5 पैसे बढ़ाने पर 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। इस राशि को RUDF (Rajasthan Urban Development Fund) में जमा किया जाएगा एवं इसे स्ट्रीट लाइटिंग, सड़कों के रख-रखाव एवं अन्य कार्यों पर व्यय किया जाएगा।

पावर जनरेशन के संबंध में प्रतिपक्ष की माननीया नेता ने यह कहा कि जो प्लांट्स भाजपा शासन काल में प्रारम्भ किए गए थे, वे ही अब पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में सही स्थिति यह है कि हमारी सरकार जन हित के ऐसे मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेकर तुरंत कार्यवाही करती है। इसी क्रम में हमने, हमारे पूर्व कार्यकाल में 1 हजार 628 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की। हमने दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2003 की अवधि में 1 हजार 475 मेगावाट राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं समय पर स्वीकृत कर दी थीं। इनमें से 1 हजार 20 मेगावाट की परियोजनाएं ऐसी हैं जो हमारे शासन काल में ही शुरू हुईं और उन्हें हमारे शासन काल में ही पूर्ण कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया। हमारे पूर्व शासन काल की केवल 455 मेगावाट (धौलपुर 330 मेगावाट और गिरल 125 मेगावाट) की परियोजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था जो आपके शासन काल में पूर्ण हुआ, इसके अलावा कोई अन्य परियोजनाएं आपके शासन काल में पूर्ण नहीं हुईं।

आपके द्वारा, दिसम्बर, 2003 में शासन में आने के करीब 2 वर्ष एवं इसके पश्चात् ही योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिससे इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हो सका। आप ही बता सकते हैं कि योजनाएं इतने विलम्ब से क्यों स्वीकृत की गईं? पूर्व सरकार इन योजनाओं को अपने शासन काल में पूर्ण नहीं कर पाई। वर्तमान सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को तीव्र गति से सम्पन्न करवाकर पूरा करवाया जा रहा है। इस बार भी हमने कार्यभार सम्भालते ही राज्य क्षेत्र में छबड़ा (2 X 660 मेगावाट), सूरतगढ़ (2 X 660 मेगावाट) एवं निजी क्षेत्र बांसवाड़ा (2 X 660 मेगावाट) में, सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित परियोजनाएं समय पर स्वीकृत कर दी हैं ताकि इन परियोजनाओं को भी समय पर पूरा कराया जा सके। इसके अतिरिक्त बारहवीं योजना के अंत तक छबड़ा और सूरतगढ़ के अलावा क्रियान्वित होने वाली 5 हजार 110 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्वीकृति भी जारी कर दी, ताकि वर्ष 2017-18 तक की राज्य की बिजली की मांग की पूर्ति में कोई कमी ना रहे, जो कि एक दूर-दृष्टि का परिचायक है।

निजी क्षेत्र में 1 हजार 80 मेगावाट क्षमता की राजवेस्ट पॉवर परियोजना पूर्व शासन काल में स्वीकृत की गई थी, किंतु इस परियोजना हेतु कपूरडी-जालिपा की लिग्नाइट माइंस की भूमि अवाप्ति का कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप परियोजना को दो इकाइयों में आयातित कोयले पर चलाया जा रहा है, जिससे राज्य को महंगी बिजली मिल रही है तथा परियोजना का कार्य भी प्रभावित हुआ। हमारी सरकार ने आते ही भूमि अवाप्ति से प्रभावित खातेदारों को अच्छा मुआवजा देकर 45 हजार बीघा भूमि की अवाप्ति का कार्य

पूर्ण किया है। परिणामस्वरूप परियोजना को लिग्नाइट की आपूर्ति शीघ्र मिल सकेगी और इस परियोजना की शेष 6 इकाइयों का कार्य भी वर्ष 2011-12 में पूर्ण हो सकेगा।

राज्य में निवेश के संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रिसर्जेंट राजस्थान का उल्लेख करते हुए यह दावा किया कि 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश 'थ्रू एल.ओ.आई.ए. एण्ड एम.ओ.यू.' के तय हुए। संभवतः वास्तविकता यह है कि निवेश के ये करार दबाव में कराए गए जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक निवेश उस मात्रा में नहीं हो सका जिसकी कल्पना की गई थी। मुझे इस संबंध में कतिपय ऐसी शिकायतें भी मिली थीं जिनमें निवेशकों का कहना था कि हमसे क्षमता से अधिक के निवेश के MOU करा लिए गए। इसी का परिणाम है कि कुल प्रस्तावों में से लगभग 90 हजार करोड़ रुपए के निवेश में निवेशकों द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है। फिर भी हमारी यह नीति है कि जो भी रिसर्जेंट राजस्थान में आएगा, उसे वेलकम करेंगे और प्रोत्साहन देंगे।

यह कहना भी सही नहीं है कि निवेशक राज्य से पलायन कर रहे हैं बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने तथा उद्यमियों एवं निवेशकों को आकर्षित करने हेतु कई दूरगामी निर्णय व कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। माह जून, 2010 में प्रदेश में 'औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति-2010' लागू की गई। निवेशक के लिए भूमि की आसान उपलब्धता, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता जैसे अनेक कार्यक्रमों के जरिए राज्य में निवेश के परिवेश में गुणात्मक सुधार किए जा रहे हैं। 'राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2010 (RIPS-2010)' भी जारी की गई। इस योजना में निवेशकों को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की गईं तथा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। एकल खिड़की व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिए जाने हेतु 'राजस्थान एण्डटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेब्लिंग एण्ड क्लीयरेंस ऑर्डिनेन्स-2010' राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.01.2011 को जारी किया गया है। इसके तहत निवेश प्रस्तावों को वांछित अनुमतियां एवं स्वीकृतियां निर्धारित समयावधि में प्रदान की जाएंगी। राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विकसित करने एवं इसमें निजी निवेश हेतु पारदर्शी वातावरण सृजित करने के लिए एक 'राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एक्ट' भी लाया जा रहा है।

होण्डा मोटर-साइकिल एण्ड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक पूर्णतया नई निवेश परियोजना है जिसमें प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है तथा कुल निवेश लगभग 1 हजार 100 करोड़ रुपए का होगा न कि 40 करोड़ रुपए, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा था।

माननीया नेता प्रतिपक्ष ने कृषि क्षेत्र के बजट प्रावधान में कमी का उल्लेख किया है। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में जहां कृषि क्षेत्र के लिए क्रमशः 519 करोड़ रुपए एवं 772 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने वर्ष 2009-10 में 884 करोड़ रुपए खर्च किए। वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों में 1 हजार 854 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रस्तावित किया है। वर्ष 2010-11 के इस प्रावधान में crop compensation का 679 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। इस प्रकार वर्ष 2010-11 के प्रावधान में से crop compensation की राशि कम कर दी जाए तो 1 हजार 175 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जिसकी तुलना में आगामी वर्ष 1 हजार 92 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में प्रदेश में अनाज का लगभग 170 लाख टन का उत्पादन होना अनुमानित है जो एक रिकार्ड उत्पादन होगा। इसी प्रकार दलहन में जहां आपके समय में 18 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ वही वर्ष 2010-11 में लगभग 28 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावना है।

सड़कों के संबंध में प्रतिपक्ष की माननीया नेता ने अपने कार्यकाल से संबंधित कई उपलब्धियां गिनवायीं। हमारी सरकार के तीनों बजटों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमने सड़क निर्माण को कितना महत्व दिया है।

### **Spp/akt/23.3.2011/1420/2e**

पूर्व सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में 1 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 53 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों की 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जबकि हमारी सरकार के 27 माह के कार्यकाल के दौरान ही 3 हजार 967 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 797 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों की 25 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

रिडकोर के संबंध में यह कहा गया कि हमने दो साल के लिये इसे राजस्थान से रवाना कर दिया है। यह सही नहीं है, हमने शासन में आने के पश्चात् रिडकोर को लगभग 813 करोड़ रुपये लागत की निम्नानुसार 7 सड़कों का कार्य आंशिक किया है- (1) अलवर से भिवाड़ी (फोर लेन) (2) खुशखेड़ा से कसौला चौक (3) हनुमानगढ़ से संगरिया (हरियाणा बोर्डर तक) (4) अर्जुनसर से पल्लू (5) कापरेन से मांगरोल (6) झालावाड़ से उज्जैन (बार्डर), एवं (7) झालावाड़ से झालावाड़ रोड।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में हमारी निःशुल्क दवायें उपलब्ध करवाने की एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा को प्रतिपक्ष की माननीया नेता ने मात्र दवाइयों की सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग मानकर यह निष्कर्ष निकाला कि यह कोई नई बात नहीं है, जबकि मुझे इस नई व्यवस्था से बहुत उम्मीदें हैं। अन्य बिन्दु, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में उठाये गये उनके संबंध में मैं विस्तृत विवेचना इसलिये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बजट प्रस्तावों में ही, सरकार की मंशा स्पष्ट झलकती है।

पाली से सोजत पाइप लाइन बिछाने का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि यह बजट में शामिल करने योग्य बिन्दु नहीं है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि जवाई से पाली की मुख्य पाइप लाइन बिछाने की 267 करोड़ रुपये की योजना का कार्य जुलाई, 2007 में प्रारम्भ किया जाकर 15 माह में समाप्त करना था। पूर्व सरकार के कार्यकाल में 137

करोड़ रुपये ही खर्च किये गये व कार्य पूर्ण नहीं हुआ। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 285 करोड़ रुपये खर्च कर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करवाया गया। अब परियोजना के शेष कार्यों के तहत पाली से सोजत तक का कार्य पूर्ण वित्तीय प्रबन्धन कर हाथ में लिया जा रहा है, जिसे नियत समय में पूर्ण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बाघेरी का नाका परियोजना का प्रश्न है, यह हमारे पिछले कार्यकाल में वर्ष 2002-2003 में स्वीकृत की गई थी। पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना का कार्य धीमी गति से हुआ। इसे हमने पूर्ण करवाया है। पूर्व सरकार द्वारा आमेट कस्बे को पानी देने का केवल निर्णय लिया गया था, जबकि इस कार्य को महत्व देकर वर्तमान सरकार ने इसे पूर्ण करवाया है। परियोजना के 78 गांव ही पूर्व सरकार के कार्यकाल में लाभान्वित किये गये थे, शेष 128 गांवों को वर्तमान सरकार द्वारा लाभान्वित किया गया है।

पेयजल के संबंध में स्थिति यह है कि पूर्व सरकार ने 5 हजार 812 करोड़ रुपये की 38 परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिया था, उसमें से सिर्फ 400 करोड़ रुपये की कुल 8 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। इस संबंध में स्थिति यह है कि वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 में, 50 योजनाएं, जिनमें से पूर्व सरकार के कार्यकाल में 37 परियोजनाओं पर ही कार्य शुरू किया गया व केवल एक परियोजना का कार्य पूर्ण किया गया। इन योजनाओं पर पूरे 5 वर्ष की अवधि में केवल 1 हजार 466 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये। वर्तमान सरकार ने पिछले दो वर्षों में ही इन योजनाओं पर 1 हजार 538 करोड़ रुपये खर्च किये हैं एवं 14 योजनाएं पूर्ण की हैं। योजनाओं के वित्त पोषण बिना स्वीकृति के अलावा पूर्व सरकार ने बिना भूमि अधिग्रहण एवं वन विभाग की अनापत्ति के बिना ही योजनाएं प्रारम्भ कर दीं जिससे परियोजना के कार्यों में विलम्ब हुआ।

कानून व्यवस्था के संबंध में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। वास्तविकता यह है कि घटनाओं के आंकड़ों में वृद्धि, ऐसे समस्त प्रकरणों को दर्ज करने एवं इनका शीघ्र अनुसंधान करने के कारण प्रतीत होती है।

अपराध घटित होने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अपराधों का अनुसंधान किस तत्परता से पूर्ण किया जाता है। सदन में यह कहा गया कि महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। परन्तु वास्तविकता यह है कि अपराधों में 98 प्रतिशत से अधिक अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किये गये हैं, जो विगत सात वर्षों में सर्वाधिक हैं।

राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष 5 महिला थानों की स्थापना की गई है। वर्तमान में 24 महिला थाने कार्यरत हैं। हाडी रानी बटालियन की स्वीकृति वर्ष 2008 में मिली थी, परन्तु इसकी भर्ती प्रक्रिया वर्तमान सरकार द्वारा ही प्रारम्भ की गई है। बटालियन की महिलाओं को वर्तमान में प्रशिक्षण के साथ प्री-कमांडो प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

जहां तक फरार अपराधियों का प्रश्न है, हमने एक विशेष कार्य योजना हाथ में ली है जिसके फलस्वरूप केवल दो माह में 8 हजार 846 प्रकरणों में स्थायी वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जोकि पूर्व सालाना औसत के लगभग बराबर है। इसी प्रकार,

इस अभियान की अवधि में, 298 डिक्लेयर्ड क्रिमिनल्स, एवं 525 मफरूरो को गिरफ्तारियों का वार्षिक औसत क्रमशः 253 एवं 916 रहा है।

राज्य में अपराध अनुसंधान में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में अनुसंधान कार्य पूर्ण करने में अग्रणी है तथा किसी भी अन्य प्रदेशों की तुलना में राज्य में ऐसे अपराधों में चालान पेश करने की तुलनात्मक संख्या 20 प्रतिशत अधिक है। श्री मुकुल वासनिक ने भी जयपुर प्रवास के दौरान इस प्रगति की सराहना की थी।

राज्य में कानून व्यवस्था के संबंध में सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कई प्रकार के मुद्दे उठाये गये। मैंने अपने बजट भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया था कि हमने हमेशा जटिल एवं उलझे हुए मुद्दों का शांतिपूर्वक समाधान किया है एवं सभी समुदायों के बीच समरसता बनाये रखने का प्रयास किया है। प्रत्येक मुद्दे के समाधान की प्रक्रिया में धैर्य और समझ अत्यन्त आवश्यक है। इसी का परिणाम है कि हमारे शासन काल में गोली चलने जैसी कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। मैं माननीय सदन के माध्यम से राज्य की जनता से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी मुद्दे पर हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाया जाये जिससे हमारे प्रदेश पर, जिसकी हमेशा एक शांत प्रदेश की छवि रही है, विपरीत प्रभाव पड़े। गत दिनों में मेडिकल कॉलेजों के प्राध्यापकों की समस्याओं का आपसी वार्तालाप से समाधान किया गया, वह इसका एक उदाहरण है।

बजट में, जैसाकि पूर्व में भी उल्लेख किया था, अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जो राज्य के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किये गये हैं। जैसाकि आप सबको विदित है, राज्य के योजना आकार में दो वर्षों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हम 11 वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 98 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का खर्चा कर सकेंगे। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु वे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में मैंने अभी से सभी अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर दिये हैं और मैं स्वयं भी नियमित रूप से इनकी समीक्षा करूंगा।

गत दिनों में बजट के संबंध में जो फीडबैक हमें मिला, उसे दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार घोषणाएं करता हूँ:-

(1) बजट में हमने पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु औषधालयों में एवं पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित किया था। अब मैं घोषणा करता हूँ कि इनके अतिरिक्त आगामी वर्ष 200 नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

(2) 1 जनवरी, 2011 से राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते एवं पेंशनर्स को महंगाई राहत की 6 प्रतिशत की किश्त स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूँ।

कर सम्बन्धी घोषणाएं :-

(3) अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष दो हॉर्स पाँवर से अधिक मोटर क्षमता वाली आटा चक्की पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की थी। औद्योगिक संघों द्वारा इस संबंध में ज्ञापन दिये गये हैं कि ऐसी आटा चक्कियों के स्पेयर पार्ट्स पर भी कर दर 5 प्रतिशत की जाए। मैं राज्य के आटा चक्की उद्योग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से दो हॉर्स पाँवर से अधिक मोटर क्षमता वाली आटा चक्कियों के साथ-साथ उनके कम्पोनेंट्स, जिनमें मोटर शामिल नहीं है, पर भी वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।

(4) व्यापार जगत द्वारा वर्तमान में करमुक्त फुटवियर की अधिकतम मूल्य सीमा को बढ़ाने हेतु मांग की जा रही है। अतः उनकी मांग पर ऐसे फुटवियर की 300 रुपये की वर्तमान अधिकतम मूल्य सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ।

(5) केक एवं पेस्ट्रीज पर वर्तमान में 14 प्रतिशत की दर से वैट देय है। राज्य के बच्चों के जन्म दिन पर उनकी खुशी बढ़ाते हुए, अन-ब्राण्डेड केक एवं पेस्ट्रीज पर, कर की दर, 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, करने की मैं घोषणा करता हूँ।

(6) मैंने इसी बजट में सिनेमा उद्योग, डी.टी.एच. एवं केबल टी.वी. को मनोरंजन कर से मुक्त करने की घोषणा की थी। प्रदेशवासियों के क्रिकेट के प्रति उत्साह को देखते हुए, वर्ष 2011 में राज्य में आयोजित होने वाले आई.पी.एल. के सभी क्रिकेट मैचों को भी मनोरंजन कर से मुक्त करने की मैं घोषणा करता हूँ।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 के माध्यम से, निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं:-

1. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003
2. राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957
3. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962
4. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998
5. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
6. राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951
7. राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954

उपरोक्त संशोधनों के उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 में दर्शाया गया है।

मेरा माननीय सदन से निवेदन है कि विनियोग विधेयक (अप्रोप्रियेशन बिल) एवं वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) पारित किया जाये।

-----